कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-06.08.2024

विषयः- **थाना चोलापुर पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण, 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से एक अदद पीली धातु की चैन, 03 अदद मोबाईल, 16550/- रूपये नगद व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।**

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा चोरी/लूट की घटनाओ के अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य व मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0246/2024 धारा 316(2),318(4),309(4),317(2) बी0एन0एस0 थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्तगण 1. विनोद सेठ पुत्र स्व0 रामराज सेठ निवासी ग्राम रैया थाना भदोही जनपद भदोही 2. लक्ष्मण सोनी पुत्र स्व0 लालमनी सोनी निवासी ग्राम कोनार पो0 मैलाहन जिला प्रयागराज व 3. अनिल सोनी उर्फ बच्चा पुत्र स्व0 कृष्णालाल सोनी निवासी ग्राम कोनार पो0 मैलाहन जिला प्रयागराज को दिनांक-05.08.2024 को समय करीब 21.55 बजे हरिबल्लमपुर रिंग रोड थाना चोलापुर से गिरफ्तार किय गया। अभियुक्तगण के कब्जे से एक अदद पीली धातु की चैन, 03 अदद मोबाईल, 16550/- रूपये नगद व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन महोदय द्वारा 10,000/- रु0 नकद पुरस्कार की घोषणा की गयी ।

घटना का विवरण- दिनांक 25.07.2024 को वादिनी श्रीमती लालमनी देवी पत्नी श्री नागेन्द्र राम निवासिनी ग्राम इमिलिया सरैया नं0 1 थाना चोलापुर जनपद वाराणसी अपने पति श्री नागेन्द्र राम के साथ थाना चोलापुर में आकर प्रार्थना पत्र दिया कि अज्ञात व्यक्तियो द्वारा वादिनी के मकान पर आकर किराये पर कमरा लेने व कमरा देखने के दौरान वादिनी के मंगलसूत्र का डिजाइन देखने के नाम पर हाथ में लेकर कुन्डी तोड़कर बोहनी के नाम पर पैसे मांगने के लिए ऊपर भेजकर पैसे लेकर आने पर गायब हो गये तथा पड़ोस की एक महिला का चैन भी लेकर चले गये जिसके आधार पर थाना चोलापुर में मु0अ0सं0 0246/2024 धारा 316(2),318(4) बी.एन.एस. पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री प्रशान्त पाण्डेय द्वारा सम्पादित की जा रही है। बरामदगी माल/ गिरफ्तारी अभियुक्तगण के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 309(4)/317(2) बी0एन0एस0 की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय - हरिबल्लमपुर रिंग रोड थाना चोलापुर, दिनांक-05.08.2024 को समय करीब 21.55 बजे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. विनोद सेठ पुत्र स्व0 रामराज सेठ निवासी ग्राम रैया थाना भदोही जनपद भदोही उम्र करीब 37 वर्ष।
2. लक्ष्मण सोनी पुत्र स्व0 लालमनी सोनी निवासी ग्राम कोनार पो0 मैलाहन जिला प्रयागराज उम्र करीब 35 वर्ष।
3. अनिल सोनी उर्फ बच्चा पुत्र स्व0 कृष्णालाल सोनी निवासी ग्राम कोनार पो0 मैलाहन जिला प्रयागराज उम्र करीब 40 वर्ष।

विवरण पूछताछ- अभियुक्तगण पूछने पर बता रहे हैं कि हम लोग अपनी जीविका चलाने के लिए जगह-जगह घूम कर ज्वैलरी व कपड़े की दुकान खोलने हेतु कमरा किराये पर लेते हैं तथा उसी दिन जो भी माल मिलता है उसे लेकर भाग जाते हैं, इसी तरह हम लोग दिनांक 25.07.2024 को इमिलिया गांव में हम लोग दुकान खोलने के लिए एक कमरे को किराये पर लिये और दुकान खोलने का दिखावा करके पूजा पाठ किये तथा मकान मालकिन से उनका मंगलसूत्र का लाकेट रिपेयर करने हेतु लिये और उनको बोहनी कराने को कहा, वह जैसे ही पैसा लेने गयी तभी वहाँ पर बैठी हुयी एक बुजुर्ग महिला के गले में पहनी हुई चेन खींचकर भाग गये थे, उस दिन मैं (विनोद सेठ) व अनिल सोनी दुकान पर गये थे तथा लक्ष्मण सोनी को थोड़ी दूर से नजर रख रहा था। बरामदशुदा माल व पैसे के संबंध में बता रहे हैं कि यह वही चेन है जो हम लोग उस दिन इमिलिया से बुजुर्ग महिला से छीने थे तथा जो मंगलसूत्र लिए थे उसके लाकेट को बेच दिये थे जो पैसा हमें मिला हम लोग आपस में बराबर बांट लिए थे उसमें से कुछ पैसे खर्च हो गया तथा यही पैसा हम लोगों के पास बचा हुआ है आज हम लोग यह चेन किसी अनजान राहगीर को बेचने हेतु जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्तगण विनोद सेठ व लक्ष्मण सेठ का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 0246/2024 धारा 316(2),318(4),309(4),317(2) बी0एन0एस0 थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 068/2018 धारा 406/411/414 भा.द.वि. थाना लंका कमि0 वाराणसी।
3.मु0अ0सं0 088/2018 धारा 406/411/420 भा.द.वि. थाना मण्डुवाडीह कमि0 वाराणसी।
4. मु0अ0सं0 977/2017 धारा 406/411/419/420 भा.द.वि. थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी।
5. मु0अ0सं0 086/2018 धारा 411/414 भा.द.वि. थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी।
6. मु0अ0सं0 0195/2018 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी।

अभि0 अनिल सोनी उर्फ बच्चा का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0-0246/2024 धारा 316(2),318(4),309(4),317(2) बी0एन0एस0 थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद पीली धातु की चैन
2. 03 अदद मोबाईल
3. 16550/- रूपये नगद
4. एक अदद मोटरसाइकिल नम्बर UP70AN7222

<u>गिरफ्तारी/सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1. थानाध्यक्ष ईश्वर दयाल दूबे थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
3. हे0का0 मो0 शकील अहमद थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।
4. हे0का0 दिनेश यादव थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।
5. का0 अमित सिंह थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।
6. का0 आदित्य कुमार थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।
7. का0 नवजीत सरोज थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।